वाणिज्य कर अपील अधिकरण,उत्तराखण्ड, द्विसदस्यीय पीठःदेहरादून

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान,एच०जे०एस० ....अध्यक्ष,

अंजलि बैंजवाल..सदस्य,

द्वितीय अपील सं०: 62 / 2023 {2013–2014, धारा 9(2) केन्द्रीय वाद

सर्वश्री गायत्री आयरन एंड स्टील्स,खसरा नं0–372–373,के0आई.ई.,इण्डस्ट्रीयल स्टेट, मुण्डयाकी, रूड़की ....अपीलार्थी,

बनाम

आयुक्त–कर, उत्तराखण्ड, देहरादून ....प्रत्यर्थी,

अपीलार्थी की ओर से : श्री ज्योतिराज व श्री आलोक कुमार शर्मा ....अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री विजय कुमार............................उपायुक्त एवं राज्य प्रतिनिधि।

–:: निर्णय ::–

मलिक मजहर सुलतान, अध्यक्ष,

प्रस्तुत अपील विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, द्वारा प्रथम अपील सं० 774 / 2021 (वर्ष 2013–2014) केंद्रीय वाद में पारित आदेश दिनांक 31 / 10 / 2023 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने व्यापारी / अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रथम अपील को निरस्त कर दिया है।

2. वाद के निर्धारण हेतु आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यापारी / अपीलार्थी विभाग में पंजीकृत है तथा एम0एस इंगट, एम0एस0 चैनल व एम0एस0 फ्लैट के निर्माण एवं बिक्री का है। व्यापारी / फर्म का वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया कि रियायती दर से कर का लाभ लेने हेतु व्यापारी द्वारा प्रस्तुत फार्म सी केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(1), धारा 8(4) तथा नियम 12(6) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि व्यापारी द्वारा दाखिल 24 फार्म–सी में से मात्र 1 फार्म सी सत्यापित है तथा शेष 23 फार्म–सी असत्यापित पाये जाने पर विद्वान कर निर्धारण

अधिकारी द्वारा व्यापारी अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्ण दर से कर आरोपित करते हुए दिनांक 31/01/2020 को कर निर्धारण आदेश पारित किया गया।

3. उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध व्यापारी द्वारा प्रथम अपील योजित की गयी जिसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 31/10/2023 के माध्यम से अवधारित करते हुए निरस्त कर दी गयी कि व्यापारी को फार्म सी दाखिल करने हेतु तथा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा केवल कर दायित्व को अधिक अवधि तक टालने के उद्देश्य से ही उक्त अपील दाखिल की गयी है। अपील के निस्तारण में उनकी कोई रूचि नहीं है। विद्वान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आगे यह मत व्यक्त किया गया कि अपीलार्थी द्वारा घोषित खरीद–बिक्री का सत्यापन नहीं कराया गया और न ही प्रस्तुत फार्म–सी के सत्यापन हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

4. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा द्वितीय अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी/अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया तथा अपील मैमों में इस बात का उल्लेख किया गया कि अंतिम सुनवाई हेतु जारी नोटिस दिनांक 05/09/2023 को प्रेषित किया गया था, जिसे फर्म अकाउंटेंट ने नोटिस प्राप्त करने हेतु अधिकृत न होने के कारण लेने से इंकार कर दिया गया था तथा आगे बताया कि दिनांक 13/09/2023 को फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई हेतु उत्तराखण्ड आ रहे थे कि गाड़ी मोहंड रेंज के बीच में अचानक खराब हो गई तथा मोहंड रेंज में कम्न्यूनिकेशन का कोई माध्यम न होने के कारण वे इसकी सूचना किसी को नहीं दे सके। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अपील मैमों में आलोच्य आदेश की वैधानिकता के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. उभय पक्षों को सुना गया तथा सुसंगत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अपीलार्थी/व्यापारी को उसके द्वारा प्रस्तुत फार्म–सी का लाभ दिया जा सकता है या नहीं, अर्थात क्या पत्रावली पर यह स्थापित है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत फार्म–सी वास्तविक हैं।

6. प्रस्तुत मामले में अपने अपील आधारों में अपीलार्थी द्वारा मात्र यह कथन किया गया है कि उसे कर निर्धारण के समय तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त इस बिन्दु पर कोई भी कथन नहीं किया गया है कि आलोच्य आदेश किन आधारों पर गलत है अर्थात् आलोच्य आदेश की विधिकता के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई कथन नहीं किया गया और न ही यह बताया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत फार्म–सी वास्तविक हैं।

7. मामला वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण से संबंधित है। कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले में मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 13/10/2017 को पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध व्यापारी के द्वारा अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 15/05/2018 को स्वीकृत कर जमा नहीं होन के कारण निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 31/01/2019 के माध्यम से अपीलार्थी के धारा 31 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर पुनः जांचोपरान्त निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया गया। प्रति प्रेषित वाद की सुनवाई हेतु अपीलार्थी को दिनांक 18/03/2019 को दिनांक 27/06/2019 को तथा दिनांक 16/09/2019 को नोटिस प्रेषित किए गए, जिसके उपरांत अपीलार्थी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा सुनवाई हेतु एक माह की समय की मांग की गई। तदोपरान्त इस मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के अनुरोध पर दिनांक 16/10/2019 नियत की गयी। नियत दिनांक को भी व्यापारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए, तदोपरान्त इस मामले में अपीलार्थी को नोटिस प्रेषित करते हुए दिनांक 17/01/2020 नियत की गयी तथा नियत दिनांक को भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। उक्त से स्पष्ट है कि विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/फर्म को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इसके उपरांत प्रथम अपील स्तर पर पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अपीलार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलार्थी के उक्त आचरण से स्पष्ट है कि इस मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी को

सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। अतः अपीलार्थी का यह कहना कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, मामले की परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वीकार योग्य नहीं है।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में केंद्रीय बिक्री के संबंध में अपीलार्थी द्वारा रियायती दर से कर का लाभ प्राप्त करने हेतु जो फार्म प्रस्तुत किए गए थे, उनमें 23 फार्म सत्यापित नहीं पाये गये। इस संबंध में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 31/01/2020 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कर निर्धारण आदेश के सुसंगत भाग निम्न प्रकार हैं–

संगत वर्ष में स्वनिर्मित एम०एस० इंगट व रोलिंग आईटम की केन्द्रीय बिकी रू० 1,19,79,05,453.00 तथा आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप की बिकी रू0 9,76,52,524.00 फार्म–सी के विरूद्व करना दर्शाया है, जिसके सम्बन्ध में 24 फार्म–सी मूल में सूची सहित दाखिल किये गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। व्यापारी द्वारा दाखिल फार्म–सी का सत्यापन विभिन्न राज्यों से कराये जाने पर 23 फार्मों के असत्यापित होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिसके उपरान्त व्यापारी को निम्न प्रकार से ***कारण बताओं नोटिस जारी किया गया–***

आपके आलोच्य वित्तीय वर्ष 2013–14 के वाद की सुनवाई के समय केन्द्रीय बिक्री के संबंध में 24 फार्म सी प्रस्तुत किये गये थे। आप द्वारा दाखिल फार्म–सी का सत्यापन संबंधित राज्यो से कराये जाने पर निम्न फार्मों के असत्यापित होने की सूचना प्राप्त हुई है–

क्र0 स0	केता का नाम व पता	टिन संख्या	फार्म सी संख्या	राशि
1	सर्वश्री अजीत स्टील सिडिकेट, गणेश विहार, हिसार रोड, अम्बाला सिटी।	06911040216	HR06C/2221547	48747906.00
2	सर्वश्री अजीत स्टील सिडिकेट, गणेश विहार, हिसार रोड, अम्बाला सिटी।	06911040216	HR06C/2221546	84788023.00
3	सर्वश्री अजीत स्टील, सिडिंकेट, गणेश विहार, हिसार रोड, अम्बाला सिटी।	06911040216	HR06C/2221544	92780784.00
4	सर्वश्री अजीत स्टील, सिडिंकेट, गणेश विहार, हिसार रोड, अम्बाला सिटी।	06911040216	HR06C/1633232	6443931.00
5	सर्वश्री जीव स्टील प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट नगर, हिसार।	06682029016	HR06C/2111453	21648587.00
6	सर्वश्री जीव स्टील प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट नगर, हिसार।	06682029016	HR06C/6000126	13638057.00
7	सर्वश्री जीव स्टील प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट नगर, हिसार।	06682029016	HR06C/2111457	66260980.00
8	सर्वश्री एम०एस० उद्योग, कॉलेज रोड, सुनम ।	03502062245	PBAAC/8221482	40559019.00
9	सर्वश्री एम०एस० उद्योग, कॉलेज रोड, सुनम ।	03502062245	PBAAC/8221484	17380473.00

10	सर्वश्री गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी, अनाज मण्डी, भवानी गढ़, संगरूर	03252030756	PBAAC/2322329	57088235.00
11	सवश्री गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी, अनाज मण्डी, भवानी गढ़, संगरूर	03252030756	PBAAC/2322328	56196193.00
12	सर्वश्री सोधी एण्टरप्राईजेज, मोहाली।	03082010722	PBAAC/1324702	80699360.00
13	सर्वश्री हाण्डा स्टील कॉरपोरेशन, मेन बाजार मण्डी गोविन्दगढ़ फतेहपुर।	03752081794	PBAAC/8652145	41931795.00
14	सर्वश्री हाण्डा स्टील कॉरपोरेशन, मेन बाजार मण्डी गोविन्दगढ़ फतेहपुर।	03752081794	PBAAC/1245822	59288812.00
15	सर्वश्री हाण्डा स्टील कॉरपोरेशन, मेन बाजार मण्डी गोविन्दगढ़ फतेहपुर।	03752081794	PBAAC/1245817	7498486.00
16	सर्वश्री जय माँ लक्ष्मी स्टील एंड एलाइड इण्डस्ट्रीज, गोविन्दगढ़।	03782040263	PBAAC/8142682	67524004.00
17	सर्वश्री पी०एस० इंजीनियरिंग वर्क्स, जी०टी० रोड, खन्ना साईड, एम०जी०जी०।	03282011873	PBAAC/4012207	111521722.
18	सर्वश्री पी०एस० इंजीनियरिंग वर्क्स, जी०टी० रोड, खन्ना साईड, एम०जी०जी०।	03282011873	PBAAC/4012208	92630289.00
19	सर्वश्री सिंह ट्रेडिंग कम्पनी, लुधियाना।	03462014781	PBAAC/0411208	81102634.00
20	सर्वश्री विनायक एण्टरप्राईजेज, विश्वकर्मा नगर लुधियाना।	03122045329	PBAAC/1925254	83028894.00
21	सर्वश्री विनायक एण्टरप्राईजेज, विश्वकर्मा नगर लुधियाना।	03122045329	PBAAC/0302218	88138426.00
22	सर्वश्री विनायक एण्टरप्राईजेज, विश्वकर्मा नगर लुधियाना।	03122045329	PBAAC/ 4501253	23974153.00
23	सर्वश्री विनायक एण्टरप्राईजेज, विश्वकर्मा नगर लुधियाना।	03122045329	PBAAC/ 4501254	52444649.00

असत्यापन के कारण निम्नवत् है :–

क्रम संख्या 01, 02, 03 व 04 (अजीत स्टील सिडिंकेट) के संबंध में एक्साईज एण्ड टैक्सेसन ऑफिसर–कम–असेसिंग अथोरिटी, अम्बाला सिटी के पत्र संख्या–2458 दिनांक 19. 12.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि :– It is intimated to you that C Forms Series bearing Serial No- HR06C/2221547, HR06C/2221546, HR06C/2221544 & HR06C/1633232 have not been issued from this office as per office record.

क्रम संख्या– 05, 06, व 07 (जीत स्टील प्रोडक्टस) के संबंध में डिप्टी एक्साईज एण्ड टैक्सेसन कमिश्नर (सेल्स टैक्स), हिसार (हरियाणा) द्वारा अपने पत्र संख्या–5260 दिनांक 20.12.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि : The C Forms bearing Machine Sr. No. HR06C/1633232, HR06C/6000126 & HR06C/2111457 have neither been received in this office and nor issued to any dealer of this district.

क्रम संख्या – 08 व 09 (एम०एस० उद्योग) के संबंध में एक्साईज एण्ड टैक्सेसन ऑफिसर, वार्ड नं. –09 सुनाम द्वारा अपने पत्र संख्या–706 दिनांक 17.02.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि :– The C Forms No. PBAAC/8221482 & PBAAC/8221484 have not been issued to M/s M.S Udyog College Roa, Sunam Distt. Sangrur holding Tin 03582062245. Apart from this, the Tin No. of M/s Udyog, Sunam has already been cancelled on 01/01/2010.

क्रम संख्या– 10 व 11 (गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी) के संबंध मेंएक्साईज एण्ड टैक्सेसन ऑफिसर, वार्ड न. –02 संगरूर द्वारा अपने पत्र संख्या–1913 दिनांक 16.03.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि : The C Form PBAAC / 2322329 & PRAAC/2322328 have not been issued to M/s Garg Trading Com. Anaj Mandi Sangrur holding TIN-03252030756 Apart from this, the TIN No. of M/s Garg Trading Co. has already been cancelled on 02-07-2008.

क्रम संख्या– 12 (सोधी एण्टरप्राईजेज) के संबंध में एक्साईज एण्ड टैक्सेसन ऑफिसर, वार्ड न.–04 मोहाली द्वारा अपने पत्र संख्या 208 दिनांक 20.02.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि :– The Firm M/s Sodhi Enterprises E-24 Phase-7 Mohali holding Tin 03082010722 is registered since date 28-12-2005 for sales & purchase cold drink etc, Firm is still active and from C no. PBAAC/1324702 has not been issued from this office in year 2013–14.

क्रम संख्या– 13, 14 व 15 (हाण्डा स्टील कॉरपोरेशन) के संबंध मेंएक्साईज एण्ड टैक्सेसन ऑफिसर, मण्डी गोविन्दगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या–1083 दिनांक 20.02.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि :– The Firm M/s Handa steel corporation Mandi Gobindgarh holding tin 03752081794 does not belong to this office. Further it is informed that the above firm beings to Ferozpur District Punjab, जबकि असिस्टेन्ट एक्साईज एण्ड टैक्सेसन कमिश्नर फिरोजपुर द्वारा अपने पत्र संख्या–2252/एस.आर.सी. दिनांक 15.02.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि :– This is to inform you that the dealer mentioned in the letter do not pertain to District Ferozepur. All these dealers pertain to District Fatehgarh Sahi, Punjab. So, you are requested to contact the concernd office. विभागीय बेवसाईट पर सर्च करने पर फर्म का टिन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का बताता है. जबकि फार्म सी पर मण्डी गोविन्दगढ़ फतेहगढ़ साहिब की मुहर अंकित है, जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त फार्म बोगस/फ्रैबीकेटेड है।

क्रम संख्या– 16 (जय माँ लक्ष्मी स्टील एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रीज) के संबंध में एक्साईज एण्ड टैक्सेसन ऑफिसर, मण्डी गोविन्दगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या–1081 दिनांक 20.02.2017 द्वारा अबगत कराया गया कि :– The Firm M/s Jai Maa Lakshami Steel & allied industries Mandi Gobindgarh holding tin 03782040263 does not show on our officially electronic records on date.

क्रम संख्या– 17 व 18 (पी०एस० इंजीनियरिंग वर्क्स) के संबंध में एक्साईज एण्ड टैक्सेसन ऑफिसर, मण्डी गोविन्दगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या–1082 दिनांक 20.02.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि :– The C Form No- PBAAC/4012207 & PBAAC/4012208 have not been issued by this office to PS Engineering Works pvt. ltd Mandi Gobindgarh holding tin 03282011873 and above firm has been cancelled on 04-06-2013 by this office.

क्रम संख्या–19 (सिंह ट्रेडिंग कम्पनी) के संबंध में असिस्टेन्ट एक्साईज एण्ड टैक्सेसन कमिश्नर, लुधियाना–1 द्वारा अपने पत्र संख्या–2526 दिनांक 13.02.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि :– M/s Singh Trading Co. Overlock Road, Ludhiana holding TIN 03462014781 is cancelled w.e.f. 15-09-2010. The above mentioned C Form has not been issued to the said dealer. Moreover, the concerned C Form series has not been issued by the Head Office to this district.

क्रम संख्या– 20, 21, 22 व 23 (विनायक एण्टरप्राईजेज) के संबंध में असिस्टेन्ट एक्साईज एण्ड टैक्सेसन कमिश्नर, लुधियाना–III (पंजाब) द्वारा अपने पत्र संख्या–2845 दिनांक 13.02.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि:– C Form No- PBAAC/1925254, PBAAC/0302218, PBAAC/4501253 & PBAAC / 4501254 have not been issued by this office. This Firm M/s Vinayak Enterprise, Vishkarma nagar Ludhiana Tin: 03122045329 is cancelled on dated 07.11.2012.

उपरोक्त प्राप्त समस्त सूचनाओं से स्पष्ट है कि आपके द्वारा केन्द्रीय बिक्री के संबंध में प्रस्तुत उक्त फार्म सी रियायती दर से कर का लाभ प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम की धारा 8(1). 8 (4) तथा नियम 12 (6) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

अतः आप दिनांक 10.07.2017 को प्रातः 11 बजे कार्यालय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न उक्त फार्म सी से आच्छादित बिकी पर पूर्ण दर से कर आरोपित कर दिया जाये।

जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में दिनांक 10.07.2017 को श्री संदीप गोयल अधिकृत प्रतिनिधि तथा श्री जितेन्द्र लेखाकार उपस्थित हुए तथा उपरोक्त कारण

बताओं नोटिस का जवाब दाखिल करने हेतु 01 माह के स्थगन से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस पर व्यापारी को दिनांक 01.08.2017 तक का समय प्रदान किया गया। किन्तु व्यापारी दिनाँक 23.08.2017 तक भी उपस्थित नहीं हुए जिसके उपरान्त व्यापारी को उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 08.09.2017 को अन्तिम रूप से नोटिस जारी किया गया।

अन्तिम जारी कारण बताओं नोटिस के उपरान्त दिनाँक 08.09.2017 को फर्म लेखाकार श्री जितेन्द्र उपस्थित हुए तथा 20 दिन के स्थगन से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिस पर अन्तिम रूप से समस्त कारण बताओं नोटिसों का जबाव दाखिल करने के लिए दिनाँक 28.09.2017 का समय प्रदान किया गया। दिनांक 28.09.2017 से आतिथि तक आप न तो उपस्थित हुए और ना ही उक्त कारण बताओं नोटिस के सम्बन्ध में कोई लिखित स्पष्टीकरण दाखिल किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य बिन्दुओं से सम्बन्धित जबाव के सम्बन्ध में आपको कुछ नही कहना है, अतः व्यापारी द्वारा दाखिल 24 फार्म–सी में से 01 फार्म–सी रू० 2,44,991.00 सत्यापित होने के कारण लाभ देय है शेष 23 फार्म–सी असत्यापित होने के कारण अस्वीकार करते हुए न्याय एवं विवेक से कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :–

1. स्वयंनिर्मित एम०एस०इंगट व एम०एस०चैनल एम०एस० फ्लैट की फार्म–सी से आच्छादित बिकी	*रू०*	2,44,991.00	*1 प्रति*	2450.00
2. उक्त की बिकी जिसके फार्म–सी अस्वीकार किये गये।	*रू0*	1,19,76,60,462.00	*5प्रति*	5,98,83,023.00
3. स्क्रैप की बिकी जिसके फार्म–सी अस्वीकार किये गये।	*रू०*	9,76,52,524.00	*5प्रति*	48,82,626.00
	योग	1,29,55,57,977.00		6,47,68,099.00

9. उक्त से स्पष्ट है कि कारण बताओ नोटिस के उपरांत पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अपीलार्थी द्वारा इसका जवाब दाखिल नहीं किया गया और न ही प्रथम अपीलीय स्तर पर अपीलार्थी सनुवाई हेतु उपस्थित हुए। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश के सुसंगत तथ्य निम्न प्रकार हैं–

"प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध अपील मैमो, साक्ष्यों तथा तथ्यों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपीलकर्ता के वर्ष 2013–14 हेतु केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा –9 (2)/वि0अनु0शा0 प्रतिप्रेषित वाद के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित करते हुए आदेश में उल्लेख किया है कि अंतिम जारी कारण बताओ नोटिस के उपरान्त दिनांक 08.09.2017 को फर्म लेखाकार श्री जितेन्द्र उपस्थित हुए तथा 20 दिन के स्थगन से संबंधित प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिस पर अंतिम रूप से समस्त कारण बताओ नोटिसों का जबाव

दाखिल करने के लिए दिनांक 28.09.2017 का समय प्रदान किया गया। उक्त के क्रम में व्यापारी न तो उपस्थित हुए और न ही उक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई लिखित स्पष्टीकरण दाखील किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य बिन्दुओं से संबंधित जबाव के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, अतः व्यापारी द्वारा दाखिल 24 फार्म–सी में से 23 फार्म–सी असत्यापित होने के कारण अस्वीकार करते हुए न्याय एवं विवेक से कर निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में प्रस्तुत अपील मैमों एवं पारित कर निर्धारण आदेश का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलकर्ता द्वारा सुनवाई की नियत तिथि को अपीलकर्ता के गम्भीर रूप से बीमार होने का उल्लेख किया गया है। किन्तु इस संबंध में अपीलकर्ता को अपील स्तर पर अनेक बार सुनवाई हेतु अवसर दिया जा चुका है, लेकिन उनके द्वारा सुनवाई में कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है तथा न ही उनके द्वारा कोई खरीद/बिक्री के बीजक/लेखा–पुस्तकें जांच हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं। इस संबंध में यह भी महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ता का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.10.2017 को पारित किया गया है, पुनः उक्त वाद के अपील स्तर से प्रतिप्रेषित करने के उपरांत दिनांक 31.01.2020 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, पुनः अपील स्तर से वाद प्रतिप्रेषित करने के क्रम में उक्त प्रश्नगत आदेश व्यापारी को अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद सुनवाई में सहयोग न करने के कारण एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। व्यापारी के उक्त वर्ष के अतिरिक्त अपील स्तर पर अन्य वर्षों के भी इस तरह के मामलों में पारित एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध पारित आदेश के विरूद्ध अपीले लम्बित है जिनको सुनवाई हेतु अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद उक्त वाद की सुनवाई हेतु कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा केवल कर दायित्व को अधिक अवधि तक टालने के उद्देश्य से ही उक्त अपीलें दाखिल की जा रही हैं. अपील के निस्तारण में उनकी कोई रुचि नहीं है। चूंकि अधिसूचना संख्या 103, दिनांक 31.03.2016 के अनुसार अधिनियम की धारा–51(8) के चौधे प्रतिबन्ध के अनुसार अपील स्तर से एक बार प्रतिप्रेषित वाद को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रश्नगत वाद का निस्तारण इसी स्तर से किया जाना अपरिहार्य है, अपीलकर्ता को अपील स्तर पर सुनवाई के अनेक अवसर दिए जा चुके हैं तथा उनके द्वारा वाद के निस्तारण में सहयोग प्रदान न करने तथा घोषित खरीद–बिक्री का सत्यापन लेखा–पुस्तकों से न करने तथा फार्म–सी के सत्यापन संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने के क्रम में प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया जाता है।"

10. उक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर हमारा मत है कि व्यापारी द्वारा रियायती दर से कर का लाभ उठाने हेतु प्रस्तुत 24 फार्म सी में से 23 फार्म सी असत्यापित पाए गए, जिसके संबंध में व्यापारी/अपीलार्थी को नोटिस प्रेषित किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी व्यापारी/अपीलार्थी की ओर से नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया तथा अपीलीय स्तर पर भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

11. मामला वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण से संबंधित है अर्थात् लगभग 12 साल पुराना है। अपीलार्थी का एक मात्र उद्देश्य मामले को लंबित रखना है। अपील आधारों में ऐसा कोई आधार नहीं है जो इस ओर इंगित करता हो कि आलोच्य आदेश में कोई विधिक त्रुटि है या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का विधिक रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। उत्तराखण्ड वैट अधिनियम की धारा 66 के अनुसार यह सिद्ध करने का भार कर दाता पर है कि वह इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत कर में छूट प्राप्त करने का अधिकारी है। वैट अधिनियम की धारा 66 निम्न प्रकार है–

<u>66 साबित करने का भार :</u>

(1) "किसी कर निर्धारण कार्यवाही में जब कोई तथ्य विशेषतः करदाता के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा, और विशेष रूप से, ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो मामले को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी भी अपवाद, छूट या मुक्ति के अन्तर्गत लाती हो, या कि वह धारा 6 के अन्तर्गत इनपुट टैक्स के लाभ का पात्र है उसी पर होगा और कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी परिस्थितियों के अभाव की अवधारणा करेगा।

(2) यदि कोई ब्यौहारी यह दावा करता है कि वह विक्रय या क्रय के किसी संव्यवहार के संबंध में कर के भुगतान का दायी नहीं है, तो उन तथ्यों और परिस्थितियों जिनके आधार पर वह ऐसी देयता से छूट का दावा करता है, के अस्तित्व को साबित करने का भार उसी पर होगा।"

उक्त विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आलोच्य आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

ह0/दि0– 13/01/2026
(अंजलि बैंजवाल)

ह0/दि0– 13/01/2026
(मलिक मजहर सुलतान)

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 62／2023 (2013—14 केंद्रीय वाद) सर्वश्री गायत्री आयरन एंड स्टील्स बनाम आयुक्त—कर, उत्तराखण्ड निरस्त की जाती है। आलोच्य आदेश दिनांक 31／10／2023 पुष्ट की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0／दि0— 13／01／2026
(अंजलि बैंजवाल)
सदस्य,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ह0／दि0— 13／01／2026
(मलिक मजहर सुलतान)
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण
उत्तराखण्ड,देहरादून।

दिनांकः— 13 जनवरी, 2026

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/